

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
सीएमपी संख्या 870/2019

इफतेखार खान, उम्र लगभग 58 वर्ष, पिता- स्व. मो. यूनस खान पता- गद्दी मोहल्ला,
नया बाजार, थाना - बैंक मोड़, पोस्ट - धनबाद, जिला - धनबाद।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, धनबाद शाखा, थाना - बैंक मोड़, पोस्ट - धनबाद,
जिला - धनबाद।
2. मुर्करम हुसैन, पिता- महबूब आलम, पता- गद्दी मोहल्ला, नया बाजार, थाना - बैंक
मोड़, पोस्ट - धनबाद, जिला - धनबाद।

... .. विपक्षीगण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से :कोई नहीं
विपक्षीगण की ओर से :कोई नहीं

आदेश संख्या 05/दिनांक 15 दिसंबर, 2022

आदेश-फलक से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले की सुनवाई
26.02.2021 को की गई थी, लेकिन उस तारीख को याचिकाकर्ता की ओर से कोई
भी उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद, तारीख 23.07.2021 को भी याचिकाकर्ता की
ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

आज भी, याचिकाकर्ता की ओर से इस सिविल विविध याचिका पर अपना
पक्ष रखने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

इसके बात के मद्देनजर, अभियोजन नहीं चलाने के कारण यह तत्काल सिविल
विविध याचिका खारिज की जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)

बीरेंद्र/